रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 1972/वैशाख 6, 1894
No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 1972/VAISAKHA 6, 1894

27 JUL 1972

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 25th April 1972

S.O. 316(E).—Whereas the Central Government has, by its notified order ir the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 1027 dated the 6th March, 1971, issued under clause (b) sub-section (1) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Board of Management consisting of Sarvashri R. V. Subrahmanian, Mr. Dhar, and M. N. Datta to take over the management of the industrial undertaking known as M/s. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18-A.

SCHEDULE

Provisions of Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
(1)	(2)
Section 198	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 269	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 387	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 388	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. 1/46/71-P.S.Cell.]
S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1972

का० आ० 316(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1027 तारीख 6 मार्च, 1971 के द्वारा, जिसे उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी किया गया था प्रबंधक बोर्ड को जिसमें सर्व श्री आर० वी० सुब्रह्मण्यन, एम० धर तथा एम० एन० दत्त हैं, मैं० ब्रैथवैट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लि०, कलकत्ता (जिसे आदेश में उसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है ,

अन्त :, अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ० की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय, सरकार उससे उपावद्ध अनुसूची में उन अपवादों. निर्बन्धनों तथा परिसीमाओं को एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनिवम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रमों को उसी प्रकार लागू बना रहेगा जैसा कि धारा 18–क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम अपवाद, निर्बंधनों तथा परिसीमाएं जिनके अधीन स्तम्भ (1) में 1956 के उपबन्ध उल्लिखित उपबंध उपक्रम को लागू होंगे ।

1	2
धारा 198	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 269	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे ।
धारा 387	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 388	इस धारा के उपबंध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।

[सं० 1/46/71–पी० एस० सेल]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972